

**न्यायालय :- श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-1315/2015

संस्थित दिनांक-29.12.2015

फाईलिंग नं.-234503015322015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// **विरुद्ध** //

देवेन्दुदेव सिकदर पिता स्व. देव सिकदर, उम्र 44 साल,  
साकिन मलाजखण्ड टाउनशिप क्वार्टर नं. बी/1/21,  
थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-26/04/2016 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-04.10.2015 को 04.00 बजे थाना मलाजखण्ड अन्तर्गत जी. टी. हॉस्टल मलाजखण्ड में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल पल्सर क्रमांक-सीजी. 07/के.1747 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन से आहत सोनू उयके को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी/आहत सोनू पिता समेलाल ने अपने कथन में प्रधान आरक्षक धनपाल बिसेन थाना मलाजखण्ड को बताया कि दिनांक-04.10.2015 को वह अपनी सायकिल से घर जा रहा था तब जी.टी.हॉस्टल के पास सामने से मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी.07/के.1747 के चालक देवेन्दुदेव सिकदर ने टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया जिससे उसे बांये पैर तथा जांघ में चोट आई। उपरोक्त आधार पर अपराध क्रमांक-122/2015, धारा-279, 337 भा.दं.वि. एवं धारा-184 मो.व्ही.एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन की जप्ती गई। आहत को अस्थिभंग होने से भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 का ईजाफा किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत सोनू उयके नाबालिक वली की ओर से उसकी माँ कलाबाई ने आरोपी से राजीनामा किया। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-04.10.2015 को 04.00 बजे थाना मलाजखण्ड अन्तर्गत जी.टी. हॉस्टल मलाजखण्ड में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल पल्सर क्रमांक-सीजी.07/के.1747 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत सोनू उयके (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा हैं कि घटना उसके कथन से लगभग तीन माह पूर्व शाम के 04.00 बजे की है। वह अपनी सायकिल से बाजार जा रहा था जैसे ही वह जी.टी.हॉस्टल मलाजखण्ड टाउनशिप पहुंचा तब सामने से आ रही मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी.07/के.1747 के चालक देवेन्दुदेव सिकदर ने उसकी सायकिल को टक्कर मार दी थी जिससे उसे पैरे, जांघ एवं बांयी कलाई पर चोट आई थी। उसका मलाजखण्ड हॉस्पिटल में मुलाहिजा हुआ था। घटना के समय मोटरसाईकिल चालक को भी चोटे आई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस मौके पर आई थी या नहीं, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था या नहीं उसे याद नहीं है। मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक-04.10.2015 को शाम के 04.00 बजे थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत जी.टी.हॉस्टल मलाजखण्ड में आरोपी ने अपने वाहन मोटरसाईकिल पल्सर क्रमांक-सी.जी.07/के.1747 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर उसकी सायकिल को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-2 के कथन में आरोपी के द्वारा तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर उसकी सायकिल को टक्कर मारने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस घटनास्थल पर नहीं आई थी एवं पुलिस

ने उससे घटनास्थल के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी तथा उसने पुलिस के कहने पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

6— अभियोजन साक्षी कलाबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानती है। वह प्रार्थी को भी जानती है जो कि उसका लड़का है। घटना उसके कथन से लगभग छः-सात माह पुरानी मलाजखण्ड टाउनशिप की है। उसे घटना की जानकारी लोगों से हुई थी कि उसके लड़के का एकसीडेंट हो गया है तब वह अपने लड़के को देखने मलाजखण्ड अस्पताल गई थी। एकसीडेंट में उसके लड़के को जांघ, पैर, कंधे पर चोट आई थी। उसे उसके लड़के ने बताया था कि वह अपनी सायकिल से आ रहा था तो सामने से मोटरसाईकिल अचानक आकर उसकी सायकिल से टकरा गई थी जिसके कारण उसका एकसीडेंट हुआ था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे उसके लड़के ने आरोपी के द्वारा अपनी मोटरसाईकिल को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी सायकिल को टक्कर मारने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनका आरोपी से राजीनामा हो गया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर कोई बयान नहीं लिये थे।

7— प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना के संबंध में आहत फरियादी/आहत सोनू उयके (अ.सा.1), एवं कलाबाई (अ.सा.2) का न्यायालयीन परीक्षण कराया गया जिसमें उन्होंने स्वयं यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल पल्सर क्रमांक-सी.जी.07/के.1747 का उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चालन नहीं किया। फरियादी/आहत सोनू ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी ने मोटरसाईकिल से उसे टक्कर मारी थी, परन्तु प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आरोपी द्वारा वाहन उपेक्षापूर्वक एवं उलावलेपन से नहीं चलाया जा रहा था। इसी आशय का कथन अभियोजन साक्षी कलाबाई (अ.सा.2) ने भी किया अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है। स्वयं फरियादी द्वारा स्वीकार किये जाने कि आरोपी द्वारा उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन नहीं चलाया जा रहा था। आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अन्तर्गत अपराध किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

8— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान लोकस्थान में वाहन मोटरसाईकिल पल्सर क्रमांक-सीजी.07/के.1747 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतएव

आरोपी देवेन्दुदेव सिकंदर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

9- आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

10- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल पल्सर क्रमांक-सी.जी.07/के.1747 को सुपुर्ददार सुरेन्द्र गौतम पिता हीरालाल गौतम, उम्र 40 साल, साकिन खमरिया थाना रूपझर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझी जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही / -  
(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सही / -  
(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)